न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-186/2016

1- डिप्टी मैनेजिंग आफीसर कस्टोडियन विभाग जिला कलेकटर
2- डिप्टी मैनेजिंग आफीसर कस्टोडियन विभाग तहसीलदार तहसील चिडावा।
3- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील चिडावा हाल सुरजगढ

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1/1= रामसिंह दत्तक पुत्र दोदराम
1/2- जयकोरी देवी पत्नी दोदराम
2- छाजूराम पुत्र श्योनारायण
3- हरदयाल पुत्र चन्द्राराम
4- हरिसिंह पुत्र चन्द्राराम
5- अमरसिंह पुत्र चन्द्राराम
6- दरियासिंह पुत्र चन्द्राराम

जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 3-7-2015 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अभिभाषक
2- श्री अमितकुमार शर्मा एडवोकेट-रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 24.1.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा बाबत दुरूस्ती रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम काजोड़ा में आराजी गत खसरा नं0 101 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 210 रकबा 1.12 हैक्टर, ख0नं0 211 रकबा 0.44 हैक्टर हुए ।उक्त आराजी को वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 के पिता शामिल में काश्त करते थे। जिनका उक्त आराजी में प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा था । उक्त आराजी जमाबन्दी सं0- 2024 से 2026 में महकमा कस्टोडियन के नाम गलती से दर्ज कर दी गई । जबकि उक्त भूमि पर सम्वत 2009 से अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से श्योनारायण एवं चन्द्राराम काबिज काश्तकार रहे हैं ।यह आराजी महकमा कस्टोडियन की खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी सं0-1 से 4 के पिता चन्द्राराम के नाम से सनद पटटा सं0-118 दिनांक 17-7-76 को निष्क्रान्त भूमि खसरा नं0 101 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता का तहसीलदार(पुर्नवास) चिडावा द्वारा जारी किया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0-372 दिनांक 16-10-1977 दर्ज किया गया ।इस भूमि का पटटा मिलने पर श्योनारायण व चन्द्राराम जो आपस में सगे भाई थे दोनों ने आपस मे बंटवारा कर लिया था। जिसके अनुसार 1.14 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं0-1 से 4 के पिता चन्द्राराम के तथा शेष 0.44 हैक्टर भूमि वादीगण के पिता श्योनारायण के हिस्से में आई । जिसमें ख0नं0 210 रकबा 1.12 हैक्टर चन्द्राराम के तथा ख0नं0 211 रकबा 0.44 हैक्टर श्योनारायण के नाम रहा जिसको सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आधार के हि बिा सक्षम आदेश कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज कर दिया ।जिसको दुरूस्त कराने का दावा पेश किया । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया जिससें क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है अदालत मातहत में कस्टोडियन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया । उक्त आराजी कस्टोडियन विभाग की खातेदारी में दर्ज रही है। जिसको बिना पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित कर खातेदार रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का आदेश विधि के विपरित पारित किया है। अदालत मातहत मे अपीलान्ट द्वारा कोई जबाब दावा नही आया तथा ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य पेश की है । अदालत मातहत ने विधि के सुस्था--पित सिद्धान्तों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है । खसरा नम्बर 101 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा के हाल ख0नं0 210 रकबा 1.12 है0 ख0नं0 211 रकबा 0.44 हैक्टर जमाबन्दी में कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज है। किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को न तो पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया है। अदालत मातहत मे वादीगण ने अपने भाईयो को प्रतिवादीगण बनाया जाकर उनसे राजीनामा कर अपीलान्ट के खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने मे कानूनी भूल की है ।ग्राम पंचायत काकोड़ा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रुप-6) विभाग के स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक पत्र 9(15(राज-6/2005/पार्ट/6/ जयपुर दिनांक 12-7-2012 के बिन्दू संख्या-3 के अनुसार नगरपालिका को नगरीय सीमा व ग्राम पंचायत कके परिधि क्षेत्र में अवस्थित भूमियों पर खातेदारी अधिकार सम्बन्धित संम्भागीय आयुक्त की पुर्वानुमति से खातेदारी अधिकार शुल्क लेकर दिये जा सकते हैं ।इस प्रकार अदालत मातहत को इस आराजी बाबत दावा सुनने का ही अधिकार नहीं है ।अदालत मातहत ने बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत में अपीलान्ट पक्षकार नहीं होने से निर्णय की जानकारी दिनाक 21-6-15 को हुई जिससे अपीलान्ट की अपील जानकारी से अन्दर मियाद है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर श्रामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील राजकीय अभिभाषक ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी कस्टोडियन विभाग की खातेदारी में दर्ज रही है । जिसको अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया ।अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही उसकी खातेदारी समाप्त कर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि योग्य अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।विवादित आराजी अपीलान्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है । इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वज चन्द्रा राम व श्योनारायण काबिज काश्तकार रहे हैं ।इस आराजी के बाबत चन्द्राराम के नाम सनद/पटटा जारी किया हुआ है जिसका पटटा सं0-118 दिनांक 17-7-76 है। पटटा मिलने पर दोनो भाई श्रामिल में काश्त करते थे ।जिसमें 1.12 हैक्टर भूमि चन्द्राराम के नाम तथा शेष 0.44 हैक्टर भूमि श्योनारायण के नाम दर्ज हुई किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आधार के श्योनारायण की आराजी को कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज कर दी। जिसको दुरूस्त कराने का दावा अदालत मातहत में पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई स्वीकार कर रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये है । इस आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है ।अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे । बहस के समर्थन में आरआरडी 14-3-2011 पेज-151, आरआरडी 14-8-2016 पेज 483 पेश की ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 सनद क्रमांक 118 दिनांक 17-7-76 में आराजी ख0नं0 101 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा चन्द्राराम पुत्र उदाराम जाट के नाम से जारी की गई है ।प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2066 से 2069 में ख0नं0 101 सिवायचक काबिल काश्त(कस्टोडियन विभाग) के खाते में दर्ज नहीं है ।मिलान क्षेत्रफल में गत ख0नं0 101 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा से हाल ख0नं0 210 रकबा 1.12 हैक्टर एवं ख0नं0 211 रकबा 0.44 हैक्टर बने हैं ।नामान्तरकरण संख्या-372 से ख0नं0 101 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा चन्द्राराम पुत्र उदाराम के नाम तस्दीक किया गया है ।नकल खतौनी सं0-2044 से 2063 में ख0नं0 211 रकबा 0.44 हैक्टर को मकमा कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज किया है । ख0नं0 210 रकबा 1.12 हैक्टर चन्द्राराम के नाम दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सनद पटटा सं0-118 दिनांक 17-7-76 का चन्द्राराम के नाम जारी किया है। जिसमें जरिये चालान 540/- रूपये जमा करवाने के बाद सनद जारी की गई ।गत ख0नं0 101 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा के हाल ख0नं0 210 व 211 कुल किता 2-रकबा 1.56 हैक्टर बने है ।सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नं0 211 रकबा 0.44 हैक्टर को कस्टोडियन विभाग के नाम बिना किसी आधार के दर्ज किया है जबकि सनद ख0नं0 101 की जारी होने पर इसके हाल ख0नं0 210 व 211 बने है । जिसमे एक खसरा नम्बर अर्थात पार्टली कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज किया जाना विधि के विपरित है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित किया है। किन्तु यहां पर दावा केवल राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने का ही है ।सैटलमेन्ट विभाग ने गलती से ख0नं0 211 को कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज कर दिया जो रेकार्ड से साबित है ।जिसको प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में दुरूस्त किया जाना उचित एवं विधिक है ।अदालत मातहत ने रेकार्ड दुरूस्ती का आदेश पारित किया है जो विधि संगत है । जिसमें हम किसी प्रकार काहस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-7-2015 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनाक 24.1.2018 को सुनाया गया ।

24.1.18

(भवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर